चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प. 12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 25.06.24

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 11 जिलों (अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ व उदयपुर) में नगरीय निकायों के 17 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जून, 2024 में करवाये जा रहें है (प्रति सलंग्न)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 30.06.2024 (रविवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 30.06.2024 (रविवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 1787 दिनांक 07.06.2024 के कम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ठ शासन सचिवगण।
11. संभागीय आयुक्त अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, बांसवाडा, भरतपुर ।
12. जिला कलक्टर अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ व उदयपुर।
13. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेपित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

उप शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation: Deputy Secretary
Date: 2024.06.25 1?:11:16 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता – कमरा नं 1127, मुख्य भवन, शासन सचिवालय
फोन न. 0141–2925245 ई मेल आईडी – DSGAD@RAJASTHAN.GOV.IN
विभागीय वेबसाइट – WWW.GAD.RAJASTHAN.GOV.IN

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2023/ 1787 दिनांकः– 07.06.2024

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उपचुनाव माह जून, 2024 – मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 14.06.2024 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 30.06.2024 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मतदान दिवस दिनांक 30.06.2024 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवावें। यदि कहीं किसी कारण से पुर्नमतदान की स्थिति बनती है तो पुर्नमतदान दिवस पर भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न :– रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीया,

(संचिता बिश्नोई)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2023/ 1788 दिनांकः– 07.06.2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव

JS (GAD)

URGENT

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 2818154
दिनांक 13/6/24

D:\NAGAPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(3) NP SEC 2023_bye-election . 2023.doc
114

परिशिष्ट–'अ'

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के उपचुनाव माह जून, 2024
उप चुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.स.	नगरनिगम/ नगर परिषद / नगर पालिका का नाम	रिक्त पद का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.प.किशनगढ़	15
2.	बीकानेर	2.	न.पा. देशनोक	04
3.	चित्तौड़गढ़	3.	न.पा. रावतभाटा	अध्यक्ष
4.	चुरू	4.	न.प. चुरू	11
		5.	न.पा. राजगढ़	38
5.	डूंगरपुर	6.	न.प. डूंगरपुर	26
6.	हनुमानगढ़	7.	न.पा. भादरा	32/अध्यक्ष
		8.	न.पा. रावतसर	28
		9.	न.प. हनुमानगढ़	01/सभापति
		10.	न.प. हनुमानगढ़	उपसभापति
7.	झुन्झुनू	11.	न.पा. चिड़ावा	22
		12.	न.पा. बगड़	01
8.	गंगापुरसिटी	13.	न.पा. टोडाभीम	13
9.	श्रीगंगानगर	14.	न.पा. पदमपुर	19
10.	अनूपगढ़	15.	न.पा. अनूपगढ़	23
		16.	न.पा. रायसिंहनगर	24/उपाध्यक्ष
11.	उदयपुर	17.	न.नि. उदयपुर	17

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक के रिक्त पदों पर उप चुनाव जून, 2024

उप चुनाव कार्यक्रम

➢ सदस्य पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	14.06.2024 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	18.06.2024 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्व 3.00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	19.06.2024 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	21.06.2024 (शुक्रवार) अपराह्व 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	22.06.2024 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	30.06.2024 (रविवार) प्रातः 07.00 बजे से अपराह्व 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	01.07.2024 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

➢ अध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	02.07.2024 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	03.07.2024 (बुधवार) प्रातः 10.30 से अपराह्व 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	04.07.2024 (गुरूवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	05.07.2024 (शुक्रवार) अपराह्व 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	05.07.2024 (शुक्रवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	08.07.2024 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्व 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	08.07.2024 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ उपाध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	निर्वाचन की तिथि	09.07.2024 (मंगलवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारंभ	प्रातः 10:00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	प्रातः 11:00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11:30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराहन 2:00 बजे तक
	मतदान यदि अवश्यक हुआ तो	अपराह्व 2.30 बजे से 5:00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः-प.12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 25.06.24

– : आदेश : –

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य के 11 जिलों (अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ व उदयपुर) में नगरीय निकायों के 17 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जून, 2024 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त नगरीय निकायों में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 14.06.2024 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 30.06.2024 (रविवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग-7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करेंः-

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाएें।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें। यह केवल निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होगा।

   उक्त आदर्श संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, उपमुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1785 दिनांक 07.06.2024 के क्रम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

1\. संम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, बांसवाड़ा एवं भरतपुर।

13. जिला कलक्टर अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ व उदयपुर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
18. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
19. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation: Deputy Secretary
Date: 2024.06.25 17:09:42 IST
Reason: Approved

कार्यालय का पता – कमरा नं 1127, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
फोन न. 0141–2925245 ई मेल आईडी – DSGAD@RAJASTHAN.GOV.IN
विभागीय वेबसाइट – WWW.GAD.RAJASTHAN.GOV.IN

संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, (मोटर गैराज) सम्पदा, स्टेट मोटर गैराज विभाग एवं स्टेट चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, राजस्थान
11/06/2024

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2023/ 1785 दिनांकः– 07.06.2024

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगरीय निकायों के उपचुनाव माह जून, 2024 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 14.06.2024 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 30.06.2024 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

सलंग्नः– 1. उपचुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(3)नपा/रानिआ/2023/ 1786 दिनांकः– 07.06.2024

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव

D:\NAGAPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(3) NP SFC 2023_bye-election , 2023.doc
113

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
दि. संख्या 2820014
दि. 13/6/24

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के उपचुनाव माह जून, 2024
उप चुनाव हेतु रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.स.	नगरनिगम / नगर परिषद / नगर पालिका का नाम	रिक्त पद का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.प.किशनगढ़	15
2.	बीकानेर	2.	न.पा. देशनोक	04
3.	चित्तौड़गढ़	3.	न.पा. रावतभाटा	अध्यक्ष
4.	चुरू	4.	न.प. चुरू	11
		5.	न.पा. राजगढ़	38
5.	डूंगरपुर	6.	न.प. डूंगरपुर	26
6.	हनुमानगढ़	7.	न.पा. भादरा	32 / अध्यक्ष
		8.	न.पा. रावतसर	28
		9.	न.प. हनुमानगढ़	01 / सभापति
		10.	न.प. हनुमानगढ़	उपसभापति
7.	झुन्झुनू	11.	न.पा. चिड़ावा	22
		12.	न.पा. बगड़	01
8.	गंगापुरसिटी	13.	न.पा. टोडाभीम	13
9.	श्रीगंगानगर	14.	न.पा. पदमपुर	19
10.	अनूपगढ़	15.	न.पा. अनूपगढ़	23
		16.	न.पा. रायसिंहनगर	24 / उपाध्यक्ष
11.	उदयपुर	17.	न.नि. उदयपुर	17

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक के रिक्त पदों पर उप चुनाव जून, 2024

उप चुनाव कार्यक्रम

➢ सदस्य पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	14.06.2024 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	18.06.2024 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	19.06.2024 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	21.06.2024 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	22.06.2024 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	30.06.2024 (रविवार) प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	01.07.2024 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

➢ अध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	02.07.2024 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	03.07.2024 (बुधवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	04.07.2024 (गुरूवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	05.07.2024 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	05.07.2024 (शुक्रवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	08.07.2024 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	08.07.2024 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ उपाध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	निर्वाचन की तिथि	09.07.2024 (मंगलवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारंभ	प्रातः 10:00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	प्रातः 11:00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11:30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराहन 2:00 बजे तक
	मतदान यदि अवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5:00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्